

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/2994 /

जबलपुर, दिनांक 30/06/2018

श्री राजेश खरा, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के बंगले के चेंबर के दरवाजे के कोने में फटे हुये 'पेपर्स', टूथा ब्रश का रैपर फेंकने की त्रुटि करने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
for


पृष्ठांकन क्रमांक C/2995 /

जबलपुर, दिनांक 30/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. श्री राजेश खरा, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


23.6.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for